कपास में घटाया, बाकी में मंडी शुल्क बढ़ाया

500 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिलेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. राज्य सरकार ने प्रदेश के कपास किसानों को राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क को आधा फीसदी घटा दिया है, अब तक एक फीसदी मंडी शुल्क देना होता था, लेकिन अब आधा फीसदी ही देना होगा.

मंडी शुल्क को आधा फीसदी बढ़ा दिया गया है. अब तक बाकी उपज पर एक फीसदी मंडी शुल्क लगता था, लेकिन अब 1.50 फीसदी लगेगा. इससे प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, जो कि किसान और उनसे जुड़े कामों पर ही खर्च की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी है. कपास जिनिंग मिलों की जरुरत को देखते हुए कपास पर मंडी शुल्क को आधा फीसदी किया गया है. प्रदेश में लगभग 158 कपास जिनिंग मिलें है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 13 लाख मीट्रिक टन है. प्रदेश में कपास पर मंडी फीस की दर में कमी किए जाने से जिनिंग मिलों के द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों में पलायन की अपेक्षा प्रदेश में ही व्यवसाय करने को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे रोजगार में तथा जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी होगी. यहां बता दें कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी कपास पर महज आधा फीसदी ही मंडी शुल्क लिया जाता है. इसके अलावा एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन लि. को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक यानी एक वर्ष तक की अवधि के लिए 29,500 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई गई है.

इधर कैबिनेट ने बाकी उपज पर मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस तरह इसमें आधा फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. राज्य सरकार का तर्क है कि इस राशि से जिलों में कोल्डस्टोरेज,वेयरहाउस प्रसंस्करण इकाईयों एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस शुल्क राशि में से 50 पैसे विपणन विकास निधि के अंश के रूप में किसानों के कल्याण में उपयोग किया जायेगा. निराश्रित शुल्क को यथावत् 20 पैसे रखा जायेगा. इस वृद्धि से इस वर्ष में लगभग 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होना संभावित है.

यह निर्णय भी लिए

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य आईटी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ 63 लाख रूपये की स्वीकृति.

भाजपा पर राजनीतिक षडयंत्र का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जून. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सीट छीनने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक हथकंडों का सहारा ले रही है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कमलनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर जा रही फ्लाइट को जानबूझकर विलंबित किया गया, जिससे पार्टी को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावित करने का प्रयास था.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों पर भाजपा द्वारा की गई आपत्ति की भी आलोचना की. उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कदम बताया.

कांग्रेस इन राजनीतिक हथकंडों से डरने वाली नहीं

कमलनाथ ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए कथित हंगामे की भी निंदा की. कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के इन 'राजनीतिक हथकंडों' से डरने वाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भाजपा को कई मोर्चों पर झटके लगेंगे. उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस एकजुट, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के हर प्रयास का डटकर मुकाबला करेगी.

एक नजर में

देवास ननि पर हाथ से मैला उठवाने के आरोप

देवास. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया के देवास दौरा कार्यक्रम के दौरान प्राप्त एक शिकायत के आधार पर नगर निगम देवास के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के निर्देश जारी किए गए हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन एवं प्रतिषेध अधिनियम, 2013 लागू होने के बावजूद नगर निगम देवास में कार्यरत सफाई कर्मचारियों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों से बिना सुरक्षा उपकरणों के नालों, नालियों एवं चेंबर लाइनों की सफाई कराई जा रही है.

5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

कटनी. लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम कौड़िया में पदस्थ पटवारी स्वयं प्रकाश मेहरा को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि पटवारी ने सीमांकन करने के नाम पर शिव कुमार जायसवाल कौड़िया निवासी से पांच हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की राशि लेते समय पकड़ लिया गया. कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है.

मानसून की दस्तक के करीब है मध्यप्रदेश

05 डिग्री गिर सकता है पारा

15 से 18 के बीच आएगा मानसून

भोपाल, 9 जून. मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री अब नजदीक है. मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून के बीच मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है. इससे पहले प्री-मानसून गतिविधियों के चलते कई जिलों में आंधी, बारिश और बादल छाने का दौर जारी रहेगा.

नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल और बालाघाट सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 10 और 11 जून

कई जिलों में बारिश का अलर्ट

को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है. सोमवार को मंडला प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा छिंदवाड़ा, खजुराहो, दमोह और मलाजखंड में भी तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंचा. भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. वहीं इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. चक्रवाती परिसंचरण, ट्रफ लाइन, पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम के कारण मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहेगा, जो मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है.

बसों का किराया तय करने अगले सप्ताह होगी बैठक

भोपाल. परिवहन विभाग आगामी सप्ताह में सार्वजनिक बसों के किराया निर्धारण के लिए किराया निर्धारण समिति की बैठक आयोजित करेगा. बैठक में बस किराए से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा. आगामी बैठक को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल करेंगे. जिससे सर्वसम्मति से लोक-हितैषी निर्णय लिया जा सके. वर्ष 2010 में गठित स्थाई समिति में प्रमुख सचिव परिवहन, आर्थिक सलाहकार वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर और परिवहन आयुक्त और परिवहन आयुक्त द्वारा नामांकित दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हैं.

सरई में मारूति कार से 441 लीटर देशी-विदेशी शराब जब्त

जिले में अभियान के तहत सवा 4 लाख कीमत के करीब 1 हजार 50 लीटर शराब जप्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। सरई पुलिस ने बीती रात पोखरीटोला इमलीडीह में मारुति सुजुकी ईको वाहन से करीब 441 लीटर देशी-विदेशी शराब जप्त करने में सफलता हासिल की है। काफी दिनों से चल रही इस अवैध शराब के कारोबार पर तत्कालीन थाना प्रभारी ने भण्डाफोड़ कर दिया है।

वहीं जिले में पुलिस के द्वारा रात भर चलाए गये अभियान में करीब 1 हजार 50 लीटर देशी-विदेशी एवं कच्ची शराब जप्त कर 110 आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का दावा किया है। जप्त शराब की कीमत करीब सवा 4 लाख रूपये आंकी जा रही है।जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान थाना सरई पुलिस द्वारा अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। 8 जून को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोखरीटोला इमलीडीह में मारुति सुजुकी ईको वाहन क्रमांक एमपी 66 7496 खड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है।

सूचना की तस्दीक उपरांत थाना सरई पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त वाहन खड़ा पाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर खाकी रंग के कार्टून रखे हुए मिले। गवाहों की उपस्थिति में कार्टूनों को वाहन से बाहर निकालकर जांच की गई, जिसमें कुल 49 कार्टून अवैध शराब के पाए गए। जांच के दौरान 25 कार्टून देशी लाल मसाला शराब तथा 24 कार्टून देशी प्लेन शराब के पाए गए। प्रत्येक कार्टून में 50 पाव शराब रखी हुई थी तथा प्रत्येक पाव 180 एमएल का था। इस प्रकार कुल 2450 पाव, कुल 441 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 70 हजार रुपये है। शराब के परिवहन में प्रयुक्त मारुति सुजुकी ईको वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडजी 7496 जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये है को भी जप्त किया गया। इस प्रकार थाना सरई की उक्त विशेष कार्यवाही में कुल जप्त मशरूका की कीमत लगभग 7 लाख 70 हजार रुपये है। मामले में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश हुए अभिनव बरोलिया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 जून. कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अभिनव बरोलिया मंगलवार को गौमाता संरक्षण एवं कल्याण से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में अपना बयान दर्ज कराने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) पहुंचे.

उन्होंने मामले में न्याय की मांग करते हुए जांच एजेंसी को संबंधित तथ्य एवं दस्तावेज सौंपे तथा निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की. ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच करने तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बयान दर्ज कराने के बाद अभिनव

बरोलिया ने कहा कि गौमाता के सम्मान और न्याय के लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा. उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि एजेंसी मामले में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच करेगी. बरोलिया ने कहा कि सत्य सामने लाना और दोषियों को जवाबदेह बनाना आवश्यक है.

गोपद नदी घाट पर अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त तीन वाहन जब्त

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून, जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपदबनास तहसील के ग्राम सिरसी स्थित गोपद नदी घाट से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त तीन वाहनों को जब्त किया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनि निरीक्षक शिशिर यादव के नेतृत्व में गठित खनिज दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। जांच के दौरान तीन वाहन अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते पाए गए। कार्रवाई के दौरान खनिज दल को देखकर वाहन चालकों ने मौके से भागने का प्रयास किया। दो वाहनों के चालकों ने वाहन में लोड रेत को रास्ते में खाली कर बच निकलने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी के कारण वाहन छो?कर फरार हो गए। वहीं बिना नंबर के टाटा-407 वाहन के चालक को टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। चालक ने अपना नाम बाला प्रसाद यादव, निवासी ग्राम सिरसी बताया। उसके कब्जे से वाहन को नियमानुसार जब्त किया गया। इसके अलावा टाटा-407 वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 4183 का चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन को लावारिस अवस्था में जब्त कर लिया गया। एक अन्य वाहन क्रमांक एमपी53 जीए 3272 को भी रेत सहित जब्त किया गया, जिसके चालक ने अपना नाम रामकुमार यादव निवासी ग्राम सिरसी बताया। जब्त किए गए तीनों वाहनों को सुरक्षार्थ थाना कोतवाली सीधी की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। संबंधित वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बिना पंजीयन नंबर वाले वाहन के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पृथक कार्रवाई के लिए जिला परिवहन अधिकारी को भी पत्र प्रेषित किया जाएगा। खनिज विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच कर अवैध उत्खनन एवं परिवहन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी तथा आवश्यक होने पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे।

नहीं बढ़ेगी तबादलों की समय-सीमा

15 तक करें तबादले

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. महज एक पखवाड़े के लिए तबादलों की अनुमति की समय-सीमा को और बढ़ाये जाने की मंत्रियों की उम्मीदों को झटका लगा है. मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को साफ सचेत कर दिया कि यदि आप तबादलों के समय में और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें.

राज्य सरकार ने स्थानांतरण के लिए 15 जून की समय-सीमा निर्धारित की है. सभी विभाग 15 जून तक स्थानांतरण नीति का पालन करते हुये स्थानांतरण की कार्यवाही पूरी कर लें. समय-सीमा नहीं बढ़ेगी.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष कमजोर मानसून के पूर्वानुमान और खाड़ी में युद्ध की स्थिति के कारण उर्वरक की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है. खाड़ी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये उर्वरक की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी और एक मोबाइल नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि ये नोडल अधिकारी प्रभारी मंत्री और सांसदों, विधायकों के साथ समन्वय करेंगे और जिले में उर्वरक की आपूर्ति तय मात्रा के हिसाब से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 जून का दिन विशेष महत्व का है.

उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इसके तहत 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक विकास खण्ड, नगरीय निकायों में एक पेड मां के नाम अभियान संचालित किया गया. अभियान में प्लास्टिक अपशिष्ट की सफाई एवं शासकीय कार्यालयों, स्कूल एवं छात्रावास में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

जादू-टोने के शक में भतीजे ने उतारा था चाचा को मौत के घाट

बरगवां पुलिस ने 5 दिन में सुलझाई अंधी हत्या

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम डाला में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने महज पांच दिन के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में मृतक के सगे भतीजे को ही हत्या का आरोपी पाया गया। गिरफ्तार 16 वर्षीय विधि-विरुद्ध बालक को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जिला संप्रेक्षण गृह रीवा भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार 6 जून को ग्राम डाला निवासी जगन्नाथ सिंह गोंड पिता बाबा सिंह गोंड का शव गांव के ही रामबहादुर सिंह गोंड के खेत में मिला था। सूचना पर बरगवां पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में थाना बरगवां में धारा 103(1) बीएनएस में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मो. समीर वारसी के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक के 16 वर्षीय सगे भतीजे को हिरासत में लेकर पूछतांछ की, जहां उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी को संदेह था कि उसके माता-पिता की बीमारी के पीछे उसके चाचा जगन्नाथ सिंह गोंड द्वारा किए गए कथित जादू-टोने का हाथ है। इसी रंजिश में 5 जून की रात शराब पीने के बाद हुए विवाद के दौरान उसने पत्थर से सिर पर कई वार कर चाचा की हत्या कर दिया था। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मो. समीर वारसी, प्रआर आलोक चतुर्वेदी, मनोज गौतम, रामनिवास यादव, अनूप मिश्रा तथा नीरज यादव की सराहनीय भूमिका रही।

जनसुनवाई में गैरहाजिर अधिकारियों का कटेगा वेतन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। जिले के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं जनसुनवाई के दौरान गायब विभाग प्रमुखों को एक दिन का वेतन काटने के भी कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिया गया है।

इस दौरान कलेक्टर गौरव बैनल ने उपस्थित होकर कुल 375 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा मौके पर मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों से कई आवेदनों का तत्काल समाधान कराया। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतें एवं समस्याएं विद्युत व्यवस्था से संबंधित रहीं। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था में तत्परता के साथ सुधार करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही कुछ आवेदकों द्वारा विस्थापन संबंधी समस्याओं के आवेदन भी प्रस्तुत किए गए, जिनके संबंध में अधिकारियों को नियमों के दायरे में रहकर आवेदकों को शीघ्र राहत पहुंचाने तथा नियमानुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साप्ताहिक जनसुनवाई को प्रभावी बनाने तथा आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिले का पूरा वरिष्ठ प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। साथ ही कलेक्टर द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित रहने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

आयुष्मान योजना — देश भर में 44 करोड़ से अधिक लोगों ने बनवाए आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान कार्ड बनाने में एमपी दूसरे स्थान पर

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 09 जून. देश भर में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) के तहत 44. 14 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं.

करीब सरकार देश के 40% वंचित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दे रही है. वहीं देश भर में बने स्वास्थ्य के तहत बने आयुष्मान कार्ड में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है. तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ 81 लाख 66 हजार 847 कार्ड धारकों के साथ पहले स्थान पर है. मध्यप्रदेश में अब तक 4 करोड़ 48 लाख 63 हजार 781 लोगों ने अयुष्मान कार्ड बनवा लिये हैं. इसके बाद बिहार 4 करोड़ 13 लाख 15 हजार 080 के साथ तीसरे, महाराष्ट्र 4 करोड़ 5 लाख 96 हजार 910 के साथ चौथे और ओडिशा 3 करोड़ 42 लाख 73 हजार 022 के साथ पांचवे स्थान पर है. देश में पुरुषों के नाम 22 करोड़ 35 लाख 88 हजार 981 और महिलाओं के नाम 21 करोड़ 78 लाख 16 हजार 370 आयुष्मान कार्ड दर्ज हैं. अन्य श्रेणी में 4 लाख 13 हजार 516 कार्ड बनाये गये. अक्टूबर 2024 में शुरू हुई आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के अब तक 1 करोड़ 20 लाख बुजुर्ग नामांकित हो चुके हैं. जिन्होंने 3,000 करोड़ के 13 लाख 84 हजार से अधिक के उपचार का लाभ लिया है.

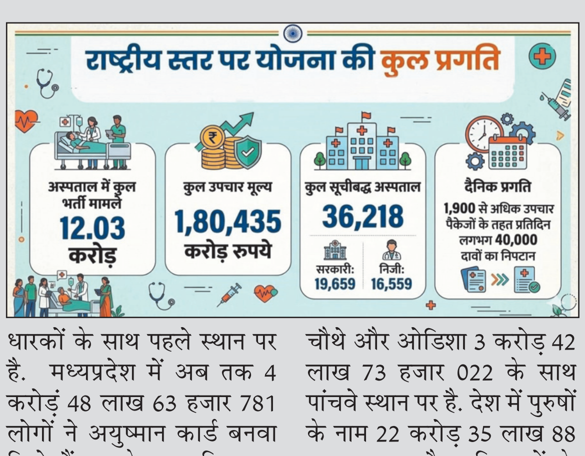

सबसे ज्यादा इलाज वाले विभाग	कुल मरीज
जनरल मेडिसिन	64,71,325
नेत्र विज्ञान	27,89,458
जनरल सर्जरी	16,40,580
प्रसूति एवं स्त्री रोग	16,00,568
मेडिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर)	14,16,316
सबसे ज्यादा हुई विशिष्ट प्रोसीजर	**कुल मरीज**
नियमित किडनी डायलिसिस	42,57,594
मोतियाबिंद सर्जरी	21,23,126
एनिमल बाइट (साँप काटने को छोड़कर)	11,96,882
सिजेरियन प्रसव	5,03,225
लैप्रोस्कोपिक सर्जरी (दूरबीन विधि)	4,05,205

श्रीमान न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (महोदय) सतना म.प्र

विषय -राम जानकी मंदिर सोहावल कि जोत भूमि जो कि छोटा स्थान (निजी) ट्रस्ट सोहावल के नाम दर्ज है उक्त भूमि की नीलामी पूर्ण होने के सूचनार्थ -

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के आदेशानुसार छोटा स्थान(निजी)ट्रस्ट सोहावल की बचवई स्थित जोत भूमि की नीलामी का इश्तहार दिनांक 22 मई 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशन करा कर तहसील कार्यालय ग्राम पंचायत बचवई व छोटा स्थान सोहावल के मुख्य द्वार पर चस्पनगी कर मुनादी आदि करा दी गयी थी जिसकी सुचना पूर्व में श्रीमान जी के कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास /एस.डी.ओ. रघुराज नगर एवं तहसीलदार रघुराज नगर को प्रार्थी द्वारा कर दी है ।उक्त नीलामी इश्तहार प्रकाशन के 15 दिवस के उपरांत श्रीमान के आदेशानुसार 6 जून 2026 को रामजानकी मंदिर छोटा स्थान सोहावल में आयोजित कराई गयी जिसमे अधिकतम बोली रूपये आठ लाख रही जो कि कुलदीप सिंह तनय स्व. प्रदीप सिंह बचवई की रही अत: उक्त भूमि 30अप्रैल 2027 तक कृषि कार्य हेतु कुलदीप सिंह आवंटित की गयी। नीलामी की प्रक्रिया पूर्णत: शांति से निर्विवाद संपादित कराई गयी जिसमे किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध व असंतोष नहीं हुआ। उक्त भूमि की नीलामी की संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है यदि अब कोई किसी भी प्रकार का विवाद व नीलामी आदि करने का प्रयास करता है तो वह पूर्णत: असंवैधानिक व अमान्य होगी। अस्तु श्रीमान जी के समक्ष उक्त नीलामी की सुचना प्रस्तुत है।

अध्यक्ष /महंत
श्रीसंकर्षण रामानुज पीठ राम जानकी मंदिर
छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल जिला सतना म.प्र
मो न. 7440525394

कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक1576/न.पा.नि./ राजस्व/2026-27
रीवा, दिनांक 08/06/2026

अचल सम्पत्ति नामान्तरण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा की आवासीय योजना क्रमांक 8 नेहरु नगर रीवा जो नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व में है, में स्थित ई0डब्लू0एस0 भवन क्रमांक 3/21/277 कुल क्षेत्रफल 927.50 वर्गफिट श्रीमती शांती बाई मिश्रा पति श्री राधेकृष्ण मिश्रा को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, इनकी मृत्यु पश्चात, इस भवन का नामान्तरण श्रीमती पद्मश्री शुक्ला पति श्री राहुल शुक्ला निवासी नेहरू नगर रीवा (म0प्र0) के नाम किये जाने हेतु दिनांक 13.02.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त ई0डब्लू0एस0 भवन क्रमांक 3/21/277, के नामान्तरण में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो, तो समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आवेदन/आपत्ति न तो ग्रहण की जावेगी और न ही मान्य की जावेगी. तत्पश्चात् आवेदिका के आवेदन अनुसार ई0डब्लू0एस0 भवन क्रमांक 3/21/277, का नामान्तरण श्रीमती पद्मश्री शुक्ला पति श्री राहुल शुक्ला निवासी नेहरू नगर रीवा (म0प्र0) के नाम करने की कार्यवाही की जावेगी.

उपायुक्त (राजस्व)
हेतु आयुक्त
नगर पालिक निगम रीवा (म.प्र.)